पायलट प्रोजेक्ट • किसानों को मिली जैविक कृषि की जानकारी, पूरे राज्य में लागू होगी योजना

गोधन न्याय योजना शुरू, पांच जिलों में लगाई जाएंगी 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के पांच जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के उपरांत पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाएंगे, इसलिए सभी गो पालकों से निवेदन है कि वे राज्य को जैविक झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। सोमवार को हेसाग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में राज्य के कृषि मंत्री बादल ने गोधन न्याय योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में गोवंश के गोबर से हम जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बना सकते हैं। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर छोड़ते हैं।

बादल ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग हो, हमारे उत्पादों को जैविक की मान्यता मिले, इसके लिए एजेंसी और सेंटर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। वर्मी कंपोस्ट के लिए हमने 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। अगर यह सफल रहा, तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 8 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट उनके इलाके में ही उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गो पालकों से सरकार 2 रुपए किलो गोबर लेगी और प्रसंस्करण के बाद किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराएगी। कहा कि पहली बार राज्य में गो मुक्तिधाम के निर्माण की शुरुआत की गई है।

कृषि मंत्री बोले... झारखंड को बनाना है जैविक कृषि राज्य

कार्यक्रम में अतिथियों और पदाधिकारियों के साथ कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख।

12 लाख किसानों को 3500 रु. का लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के 12 लाख किसानों को अब तक प्रति किसान 3500 रुपए का लाभ दिया जा चुका है। किसानों के लिए हमने सुखाड़ राहत के तहत केंद्र सरकार से 9682 करोड़ की मांग की है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी।

सभी सभ्यताओं में गोवंश का स्थान प्रमुख

ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के सीईओ महालिंगा शिवाजी ने कहा कि गोबर में पोषक तत्व होते हैं, जो उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इसीलिए इस योजना से 504 लाख मीट्रिक टन गोबर को नाइट्रोजन के रूप में बदला जा सकेगा और इससे राज्य को 22000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

क्या है गोधन न्याय योजना का उद्देश्य

गोधन न्याय योजना का उद्देश्य झारखंड में उपलब्ध गोवंश के द्वारा उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना एवं उनकी आय में वृद्धि करना है। राज्य में 12.57 मिलियन गोवंश हैं। एक अनुमान के तौर पर गोवंश के द्वारा 504 लाख टन गोबर का उत्सर्जन प्रति वर्ष किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि निदेशक चंदन कुमार, उद्यान निदेशक, सीईओ ओफाज महालिंगा शिवाजी, निदेशक हॉर्टिकल्चर नेसार अहमद, संयुक्त निदेशक शशिभूषण अग्रवाल, रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भविष्यानंद सहित बड़ी संख्या में किसान और कृषक मित्र शामिल हुए।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने रांची में गोधन न्याय योजना का किया लोकार्पण

कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने आज रांची में गोधन न्याय योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में गोवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में हम झारखंड की अलग पहचान बना सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के पांच जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस परियोजना की सफलता की समीक्षा के बाद राज्यभर में इसे चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग हो इस पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य उद्यान विकास योजना में **गो–धन न्याय योजना** के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी तथा इससे बायोगैस बनाने के साथ–साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जायेगा।